

फर्द अहकाम

न्यायालय ~~उप खण्ड अधिकारी~~
जयपुर (दिलीप)

राज्य न्यायिक सेवा कर्मियों का कर्म बर्खास्त कर देना
नाम : राजेश कुमार शर्मा

मुकदमा संख्या / वर्ष : 70 / 2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/2/24	<p>परावली पेश डक / वादीगण कर्म अधिवक्ता अनुपस्थित / वादीगण प वादीगण अधिवक्ता को न्यायालय समक्ष लुकाई लुकाई का आवान जावादी गरी कर का आवान जावादी के उपरान्त भी वादीगण कर्म अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। परावली को भवसोकन निमागण परावली आदेश दिनांक 14/3/23 के अनुकरण के साक्ष्यवादी है। आपत व निष्पत्त अवकाश के उपरान्त भी वादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा आपत निष्पत्त वादीगण पेश डक अनुपस्थित है। अतः वक्त वादीगण अधिवक्तापदी अपना पदवी के खाली निमाग जावादी परावली के कर्म शुभयुक्त चेकर अपने नमक से अनुपस्थित वादीगण दिलीप अहकाम है।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (दिलीप)

